राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
ईमेल –**we.wshgi@gmail.com** फैक्स नम्बर 0141–5196317

क्रमांक एफ19(8)/निमअ/WSHG/RKCL/2017–18/94211-43 जयपुर दिनांक 10-8-18

सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता
समस्त जिले।

विषयः– महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा अन्तर्गत RS-CIT महिला बैच जुलाई 2018 हेतु चयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि RS-CIT महिला बैच जुलाई 2018 हेतु प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित मापदण्डानुसार आवेदकों का चयन कर RS-CIT महिला बैच जुलाई 2018 अन्तर्गत प्रशिक्षण करवाया जाना है। इस हेतु RKCL द्वारा सहायक निदेशक, मअ के लॉगिन में आवेदकों का डाटा दिनांक 10.08.2018 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवेदनों का चयन उपनिदेशक मबावि, सहायक निदेशक म.अ. एवं प्रभारी RKCL प्रतिनिधि की चयन समिति द्वारा निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाना हैः–

1. सहायक निदेशक के लॉगिन खोलने हेतु RKCL द्वारा नए लॉगिन एवं पासवर्ड समस्त जिलों के सहायक निदेशकों को कोरियर के माध्यम से भिजवा दिए गए हैं। इस पासवर्ड को सम्बन्धित अधिकारी गोपनीय रखे ताकि अन्य कोई इसका दुरूपयोग नहीं कर सके।
2. सहायक निदेशक के लॉगिन पर समस्त आवेदन पत्रों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट के क्रम में आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार दिखाई देगी।
3. लॉगिन पर दिखाई देनी वाली सूची में से, चयन समिति को महिलाओं/बालिकाओं का चयन निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु करना है, यदि किसी के चयन पर कोई आपत्ति है तो साइट पर ही कारण दर्ज करते हुए उसे निरस्त (X) कर उसके आगे के नाम का चयन कर सकते हैं। इस कार्य में सहयोग हेतु RKCL का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।
4. RS-CIT पाठ्यक्रम हेतु महिलाओं/बालिकाओं का चयन निम्नलिखितानुसार करना हैः–

जयपुर के अतिरिक्त समस्त जिले	–	12 (प्रति आई.टी.ज्ञान केन्द्र)
जयपुर जिला	–	11 (प्रति आई.टी.ज्ञान केन्द्र)
अमृता आई.टी. ज्ञान केन्द्र निदेशालय,मअ जयपुर	–	30

नोट – प्रति आई.टी.ज्ञान केन्द्र आवंटित सीटों में से 18 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जावे। (प्रत्येक आई.टी ज्ञान केन्द्र पर आवंटित कुल सीटों में से 2 सीटों पर एस.टी. श्रेणी एवं 2 सीटों पर एस.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जावे।) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में इन हेतु आरक्षित सीटें रिक्त रहेंगी।

5. जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा आई टी ज्ञान केन्द्र वार ऑनलाइन चयन दिनांक 10.08.2018 से 23.08.2018 तक किया जायेगा।
6. RKCL द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने बाबत् SMS द्वारा सूचना दिनांक 24.08.2018 से 26.08.2018 तक दी जायेगी।

7. प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा प्रशिक्षण हेतु आई.टी.ज्ञान केन्द्रों पर रिपोर्टिंग 27.08.2018 से 31.08.2018 तक।
8. RS-CIT पाठ्यक्रम का आनलाईन प्रशिक्षण दिनांक 04.09.2018 से आरम्भ किया जायेगा।
9. आरकेसीएल द्वारा प्रथम किश्त (50 प्रतिशत राशि) के भुगतान हेतु बिल रिपोर्टिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार सूची, जन प्रतिनिधियों के उद्घाटन की सूचना एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रीकरण की सूचना सहित सहायक निदेशक को दिनांक 20.09.2018 तक प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. परीक्षा परिणाम के उपरान्त आरकेसीएल द्वारा अन्तिम किश्त (शेष 50 प्रतिशत राशि) के भुगतान हेतु बिल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार सूची, बायोमैट्रिक उपस्थिति की सूचना संबंधित जिले के सहायक निदेशक को प्रेषित करेंगे।
11. प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे :–
    I. आई टी ज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन/समापन/निरीक्षण जनप्रतिनिधियों से करवाया जाए।
    II. सुनिश्चित किया जाये कि प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से हो।
    III. उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत की जाए।
    IV. योजनान्तर्गत चयनित बालिकाओ का आई.टी.ज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण समय पूर्वाह्न 11.00 से 1:00 बजे एवं अपराह्न 3:00 से 5.00 बजे निश्चित किया गया है। अतः उक्त समय के दौरान निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।
    V. प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन फीडबैक फॉर्म भरवाया जाए।

(निशा मीना)
अतिरिक्त निदेशक(SHG)
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प–13(1)/निमअ/SHG/RKCL/2016–17/ 94244-314
जयपुर दिनांक 10.8.18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता जयपुर राज0।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन, 7–ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि वे महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्युटर प्रशिक्षण की कार्यवाही समय से प्रारम्भ करवाने, आई. टी. ज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11.00 से 1:00 बजे एवं अपराह्न 3:00 से 5.00 बजे तक करवाने, उपनिदेशक मबावि/सहायक निदेशक म.अ. को रिपोर्टिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची समय पर उपलब्ध करवाने, बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति करवाने एवं जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण का उद्घाटन/समापन/निरीक्षण एवं प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन फीडबैक फॉर्म भरवाए जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश प्रदान कराये।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय महिला अधिकारिता।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त जिला।
5. उपनिदेशक मबावि, समस्त जिला।
6. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

D:/Kailash /RKCL letter